राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक प.7(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2014 जयपुर, दिनांक: 25 अगस्त, 2014

परिपत्र

विषयः– स्वीकृत बजट प्रावधानों का वित्तीय वर्ष में उपयोग करने एवं आधिक्य पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने के संबंध में।

इस विभाग के पूर्व परिपत्र क्रमांक प.7(7)वित्त–1(1) आ.व्य./2011 (संख्या 19/2011) दिनांक 24.10.2011, प.7(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2012 दिनांक 04.06.2012 (संख्या 12/2012) एवं प.7(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2013 दिनांक 08.04.2013 (संख्या 5/2013) द्वारा समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधानों के अनुसार ही राशि व्यय करें एवं अतिरेक व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखें ।

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा की जन लेखा समिति वर्ष 2014–2015 ने उनके 13 वां प्रतिवेदन में यह अभिमत व्यक्त किया है कि वर्ष 2010–11 में आधिक्य से संबंधित मामलों में कुछ विभागों द्वारा बजट मैन्युअल के नियमों की पूर्ण पालना नहीं की गई है। कुछ विभागाध्यक्षों द्वारा समय रहते अनुपूरक मांग प्रस्तुत नहीं की गई है। कुछ विभागों द्वारा अनुपूरक मांग के बाद भी आधिक्य रहा और कुछ द्वारा अनुपूरक मांग में राशि लेने के उपरान्त वह राशि खर्च नहीं हुई। अतः बजट प्रावधान का वित्तीय वर्ष में ही उपयोग हो इसके लिए विभाग समय पर स्वीकृतियाँ जारी करे तथा स्वीकृत राशि का वित्तीय वर्ष के अन्दर ही उपयोग करने की सुदृढ़ व्यवस्था करें। बजट प्रावधानों में विभागीय बचत भी बजट की सकारात्मक उपलब्धता को प्रभावित करती है। अधिक बचत या आधिक्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त वित्तीय नियमों में उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों एवं बजट नियंत्रण अधिकारियों से पुनः अनुरोध है कि:–

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यकतानुसार अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव निर्धारित समयावधि में इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें,
(ii) स्वीकृत बजट प्रावधानों के अनुसार ही वित्तीय वर्ष में राशि का उपयोग करने एवं आधिक्य पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने की सुदृढ़ व्यवस्था करें, एवं
(iii) अनावश्यक बजट प्रावधान प्रस्तावित नहीं करें, ताकि बचत की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

इस संबंध में कृपया बजट नियमावली के प्रावधानों की कठोरता से पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

(सुभाष चन्द्र गर्ग)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
5. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा/लेखा एवं हक/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित), राजस्थान
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग
10. प्रशासनिक सुधार (कोडिफिकेशन) विभाग को सात अतिरिक्त प्रतियों सहित
11. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ 9(78)जलेस/राविस/सिविल/2014/30173 दिनांक 19.07.2014 के क्रम में सूचनार्थ
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायलय, जोधपुर/जयपुर
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

(सुधीर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

[8/2014]